भारत सरकार

विधि और न्यावय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्नं सं.1846

जिसका उत्तर गुरुवार, 10 दिसम्बर, 2015 को दिया जाना है

ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट

1846. श्री लड्डू किशोर स्वाइँ :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और उक्त प्रयोजनार्थ राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी धनराशि आबंटित/उपयोग की गई है ;

(ख) क्या देश में ई-फाइलिंग प्रणाली ने काम करना शुरू कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है तथा अब तक ई-फाइलिंग प्रणाली के अंतर्गत राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने मामले दाखिल किए गए हैं ; और

(घ) सरकार द्वारा पूरे देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र- वार विभिन्न राज्यों में ई-फाइलिंग प्रणाली के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

विधि और न्या य मंत्री (श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा)

(क) से (घ) : 30 नवंबर, 2015 तक, परियोजना के फेज I की आदेशाधीन क्रियाकलाप के 93 प्रतिशत से अधिक पूरे किए गए है ।

क्र.सं.	माड्यूल	30.11.2015 को प्रास्थिति	पूर्ण %
1.	तैयार साइटें	14249	100.00
2.	हार्डवेयर प्रतिस्थापन	13436	94.29
3.	लेन प्रतिस्थापन	13643	95.75
4.	दिया गया साफ्टवेयर	13273	93.15

उपरोक्त के अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की आईसीटी अवसंरचना भी स्तरोन्नत की गई है। एक यूनिफाइड नेशनल कोड एप्लीकेशन साफ्टवेयर - केस इनफोर्मेशन सिस्टम (सीआईएस) साफ्टवेयर विकसित किया गया है और सभी कंप्यूटरीकृत न्यायालयों में अभिनियोजन के लिए उपलब्ध कराया गया है । राष्ट्रीय ई-न्यायालय पोर्टल (http.//www.ecourts.jov.in) प्रचालित हो गया है और संबंधित जिलों के साथ-साथ राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) की वेबसाइटों के माध्यम से सार्वजनिक पहुंच के लिए खोला गया है । पोर्टल मुवक्किलों को आनलाइन सेवाएं जैसे मामला रजिस्ट्रीकरण, वाद सूची, वाद परास्थिति, दैनिक आदेश और अंतिम निर्णयों के ब्यौरे प्रदान करता है । वर्तमानतः मुवक्किल जिला और अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित 5.59 करोड़ से अधिक लंबित मामलों और विनिश्चित मामलों के संबंध में मामला परास्थिति सूचना 1.93 करोड़ से अधिक आदेशों/ निर्णयों की जानकारी प्राप्त कर सकते है । एनजेजीडी डाटा न्यायिक मानीटरी और प्रबंधों में न्यायपालिका और सरकार की नीति परियोजना हेतु डाटा प्राप्त करने में भी मदद कर सकते है ।

परियोजना के फेज I के लिए 933 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत के विरुद्ध राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी, परियोजना के फेज I के लिए कार्यान्वयन अभिकरण) को 617.35 करोड़ रुपए 30 नवंबर, 2015 तक ई-न्यायालय परियोजना फेज- I के उपरोक्त घटकों के लिए सभी राज्यों को समेकित आधार पर जारी किए गए है ।

परियोजना के फेज I में ई-फाइलिंग को नहीं अपनाया गया है, परंतु इसे परियोजना के फेज II में इसे सम्मिलित किया गया है । फेज II का कार्यान्वयन 4 अगस्त, 2015 को प्रारंभ किया गया ।

****